पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 253/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.08.2024 को थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा घर बैठे नौकरी कराने, ट्रेडिंग कर पैसा कमाने व आनलाइन पैसा कमाने के नाम पर साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाला अभियुक्त मो0 शादाब को गिरफ्तार किया गया है।

थाना- गम्भीरपुर

घर बैठे नौकरी कराने, ट्रेडिंग कर पैसा कमाने व आनलाइन पैसा कमाने के नाम पर साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाला अभियुक्त मो0 शादाब गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

अवगत कराना है कि विगत कुछ समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलो में आनलाइन पैसा कमाने, घर बैठे नौकरी करने व ट्रेडिंग कर पैसा कमाने के साइबर ठगी की घटनायें हो रही थी जिसमे साइबर ठगों द्वारा धोखधाड़ी करके लोगो को पैसा कमाने का झांसा देकर उनके खातों से लाखो रूपये की निकासी की जा रही थी। जनपद आजमगढ़ के निवासी मो0 सैफुल्लाह पुत्र इस्तेयाक अहमद पता ग्राम कमरावां गंभीरपुर आजमगढ़ उ0प्र0 द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि आनलाइन जाब दिलाने का झासा देकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा चार किस्तो में 56,000 रू जमा करा लिया है और इसी प्रकार कई लोगो के साथ आनलाइन ठगी किया गया है। प्रार्थना पत्र की जांच एवं कार्यवाही के क्रम में तत्काल थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ में मु0अ0सं0 114/2024 धारा 420 भादवि पंजीकृत किया गया। उपरोक्त मुकदमा पर तत्काल संज्ञान लेते हुए साइबर अपराध के सफल अनावरण एवं अभियोक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशानुसार एवं नोडल अधिकारी साइबर अपराध शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए साइबर सेल आजमगढ़ द्वारा जांच प्रारम्भ किया गया।

साइबर सेल द्वारा फ्राड ट्रान्जेक्शन की जांच की गयी एवं पाया गया कि आनलाइन जाब देने के नाम पर कई फ्राड मो0 नं0 व बैंक खाता का प्रयोग कर पैसा लिया गया है जिसके कार्यवाही के क्रम में साइबर सेल और गम्भीरपुर थाना पुलिस द्वारा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस एवं लोकेशन के आधार पर प्रकाश में आया अभियुक्त मो0 शादाब पुत्र इश्माईल पता निजामपुर मल्हौर, चिनहट लखनऊ को उसके द्वारा फ्राड में प्रयुक्त मोबाइल के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया। जांच में पाया गया कि उपरोक्त अभियुक्त शादाब द्वारा दूसरे के नाम पर फ्राड खाता खुलवाकर खाता खुद संचालित कर वादी मुकदमा को आनलाइन जाब देने के नाम पर वादी मुकदमा के खाते से 56,000 रू का फ्राड किया है।

पूछ-तांछ अभियुक्तः –

अभियुक्त मो0 शादाब से उक्त अपराध के संबंध में पूछताछ की गयी तो बताया गया की जाब दिलाने की बात कर लोगो को झासा देता हूं और मैं कई लोगो से खाता खुलवाकर उनका खाता प्रयोग कर पैसा का लेने देन करता हूं। पूछतांछ में बताया कि साहब मैं दूसरे के नाम से खाता खुलवाता था ताकि मैं फंस ना जाऊ और पैसे से पैसा कमाने के लिये आनलाइन लेन देन करता था।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मो0 शादाब पुत्र मो0 इस्माईल पता निजामपुर मल्हौर चिनहट लखनऊ उ0प्र0, उम्र 26 वर्ष ।

बरामदगीः-

अपराध में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल फोन

अभियोग का विवरणः-

1-मु0अ0सं0 114/2024 धारा 420 थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 अनुपम जायसवाल चौकी प्रभारी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।

का0 सत्येन्द्र यादव साइबर क्राइम सेल जनपद आजमगढ़ ।

का0 धीरज सिहं थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।